संचिका सं0—7/बजट—46—13/2021 — 529 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 20/03/2025

विषय:— वित्तीय वर्ष 2017—18 अंतर्गत मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर में प्रथम चरण में कुल 272 शैय्या का भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 1,28,96,00,000/—(एक अरब अठ्ठाइस करोड़ छियानवें लाख) मात्र की व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति योजना के Scope of Work में परिवर्त्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024—25 में कुल 321 शैय्या के भवन निर्माण हेतु कुल रू० 1,97,26,11,900/—(रुपये एक अरब सन्तानवे करोड़ छब्बीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में इस परियोजना हेतु अवशेष राशि रू0 68,30,11,900/—(रुपये अड़सठ करोड़ तीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017—18 अंतर्गत मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर में प्रथम चरण मे कुल 272 शैय्या का भवन निर्माण हेतु रुपये 1,28,96,00,000/— (एक अरब अठ्ठाइस करोड छियानवें लाख रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—1611(10), दिनाक—28.03.2018 द्वारा प्रदान की गयी है, जिसके विरूद्ध विभिन्न व्ययादेशों के माध्यम से निगम को राशि उपलब्ध कराया जा चुका है।

2— उक्त के आलोक में योजना के Scope of Work में परिवर्त्तन के कारण पुन बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से कुल रू० 1,97,26,11,900/—(रुपये एक अरब सन्तानवे करोड छब्बीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ) मात्र का पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पत्राक—2729, दिनांक—02.07.2024 एवं पत्रांक—4301, दिनांक—16.08.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या—225(7), दिनांक—21.10.2024 द्वारा प्रदान की गयी है।

3— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक— F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, दिनाक—24.01.2025, एवं F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar- SACE-54, दिनांक—24.01.2025 तथा वित्त विभाग के पत्रांक—69/वि0 दिनाक—27.01.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 मे भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के तहत अतिरिक्त किस्त के रूप मे स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रु0 75.00 करोड मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

4— उक्त परिप्रेक्ष्य मे वित्तीय वर्ष 2017—18 अंतर्गत मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर मे प्रथम चरण मे कुल 272 शैय्या का भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 1,28,96,00,000/—(एक अरब अठ्ठाइस करोड छियानवें लाख) मात्र की व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति योजना के Scope of Work मे परिवर्त्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024—25 मे कुल 321 शैय्या के भवन निर्माण हेतु कुल रू० 1,97,26,11,900/—(रुपये एक अरब सन्तानवे करोड छब्बीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्तमान

वित्तीय वर्ष में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में इस परियोजना हेतु अवशेष राशि रू0 68,30,11,900/–(रुपये अडसठ करोड तीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–1611(10), दिनांक–28.03.2018 में निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

6– उक्त कार्य हेतु मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष–110 अस्पताल तथा औषधालय, समूह शीर्ष–राज्य स्कीम के अन्तर्गत, उप शीर्ष–0117–मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर अस्पताल भवनों का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210011100117, विषय शीर्ष–53–01 मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632वि०, दिनांक–04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID---------- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबंधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

9– वित्त विभागीय पत्रांक–432/वि०, दिनाक–29.03.2023 एवं पत्राक–69/वि०, दिनांक–27 01.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सख्या–7/बजट–46–13/2021 के पृष्ठ–19./टि0 पर प्राप्त है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 529 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक—20/03/2025

प्रतिलिपि—योजना एव विकारा विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव उक्त सभी को ई—मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

20/3/25

सरकार के अपर सचिव